

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 39/2026
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2026/44

- 1- जमना देवी पत्नी लादु मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- भंवर लाल पिता लादु मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- छोटूलाल पिता भागीरथ जाट निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- सुरजकरण पिता किशन जाट निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- छोटूलाल पिता लादुलाल बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- गोवर्धन पिता छोगालाल माली निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- सांवरलाल पिता रामलाल कीर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- बन्नालाल पिता छोगा माली निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- शंकरलाल पिता होकमा कीर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 17/02/2026

उपस्थित :-

1. श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीगण

::- निर्णय -::

दिनांक : 01/04/2026

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 माताजी का खेड़ा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 125 रकबा 0.14 है0, 126 रकबा 0.02 है0, 127 रकबा 0.90 है0, 222 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.43 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण ने विपक्षगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन इंकार हो गये। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 माताजी का खेड़ा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 4 रकबा 1.43 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावें।


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण 1, 2, 5, 6, 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई विपक्षीगण सं. 3, 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

आज दिनांक 01/04/2026 को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 माताजी का खेड़ा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.14 है0, 126 रकबा 0.02 है0, 127 रकबा 0.90 है0, 222 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.43 है0 के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझता हूँ।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 माताजी का खेड़ा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.14 है0, 126 रकबा 0.02 है0, 127 रकबा 0.90 है0, 222 रकबा 0.37 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों। निर्णय आज दिनांक 01/04/2026 को सुनाया गया


(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।


सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा